मैनुअल-12

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

13.1 कृपया निम्न प्रारूप पर जानकारी उपलब्ध कराऐं ।

●	कार्यक्रम/योजना का नाम	-	सुखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम ।
●	कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा	-	5 वर्ष ।
●	कार्यक्रम का उद्देश्य	-	भूमि जल एवं वनस्पति जैसे जल संग्रहण के प्राकृतिक संसाधनों का सम्यक उपयोग कर सुखे के प्रभाव का निवारण करने के लिए इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाता है।
●	कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में)	-	वर्ष 2004-05 में स्वीकृत परियोजना - 68
●	लाभार्थी की पात्रता	-	जिला परिषद्, पंचायत समिति कार्यक्रम का संचालन परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी के माध्यम से कराती है ।
●	पूर्वापेक्षाएं	-	
●	अनुदान/सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया	-	केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 75:25 ।
●	पात्रता निश्चित करने के लिये मानदन्ड	-	मार्गदर्शिका के अनुसार परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी कार्य सम्पन्न कराती है ।
●	दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो)	-	
●	अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया	-	
●	आवेदन करने के लिये कहाँ/किससे सम्पर्क करें	-	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ।
●	अन्य शुल्क (जहाँ उचित हो)	-	
●	आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तौ कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बताएँ कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करे)	-	
●	संलग्नकों की सूची	-	ग्रामीण विकास विभाग में उपलब्ध है ।

●	संलग्नकों की प्रारूप	-	
●	प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर कहाँ सम्पर्क करें	-	पंचायत, जिला परिषद् एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
●	उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों जैसे कि जिला स्तर पर, ब्लाक स्तर पर इत्यादि)	-	केन्द्रांश प्राप्त होने पर अनुपातिक राज्यांश विभाग द्वारा विमुक्त किया जाता है । जिला स्तर से मार्गदर्शिका के अनुसार परियोजनावार राशि पंचायत को उपलब्ध कराई जाती है ।
●	लाभाथियों की सूची (निम्न दिये गये प्रारूप पर)	-	जिला स्तर पर उपलब्ध है ।

विभाग द्वारा प्रदत क्रमांक	**लाभार्थी का नाम**	**अनुदान की राशि**	**बल्दियत**	**पात्रता का आधार**	**निवास**			
					जिला	शहर	मोहल्ला/ गाँव	मकान नं०